(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4380/2018/भोपाल/भू.रा. विरूद्ध आदेश दिनांक 16.05.2018 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण क्रमांक 581/अपील/2011-12.

बाला प्रसाद आ. श्री नन्नूलाल
निवासी ग्राम गुनगा, तहसील बैरसिया
जिला भोपाल, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

हफीज खां मृत द्वारा वैधानिक उत्तराधिकारी

1. श्रीमती आबदा बी पत्नी स्व. श्री हफीज खां
2. मोनू आ. स्व. श्री हफीज खां
3. आबेद आ. स्व. श्री हफीज खां
4. शाहिद आ. स्व. श्री हफीज खां
5. कुमारी रूखसार आ. स्व. श्री हफीज खां
6. कुमारी रानी आ. स्व. श्री हफीज खां

निवासीगण ग्राम गुनगा, तहसील बैरसिया
जिला भोपाल, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री डी.एस. सोलंकी, अभिभाषक, आवेदक
श्री जगदीश कुमार प्रजापति, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/19 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित दिनांक 16.05.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम गुनगा, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल स्थित वादग्रस्त भूमि पर आने जाने के रास्ते के संबंध में अनावेदकगण के पिता स्व. श्री हफीज

खां द्वारा नायब तहसीलदार, वृत्त-3 हराखेड़ा, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत आवेदन प्रकरण क्रमांक 1/अ-13/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 21.02.2012 द्वारा स्वीकार किया गया, जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा एक अपील अनुविभागीय अधिकारी, बैरसिया, जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कि उनके द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.06.2012 से नायब तहसीलदार का आदेश यथावत रखते हुए अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के समक्ष प्रस्तुत करने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 16.05.2018 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो कि संहिता की धारा 131 के प्रावधानों के अनुरूप न होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने योग्य है। चूंकि संहिता की धारा 131 के तहत आदेश पारित करने के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौके का निरीक्षण करने के उपरांत ही रास्ते की रूढी के संबंध में मौके की जांच किये जाने के पश्चात् रास्ता खुलवाये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है, परंतु नायब तहसीलदार द्वारा जो रास्ता खुलवाये जाने का आदेश दिनांक 21.02.2012 को पारित किया गया, उक्त आदेश पारित करने के पूर्व मौका का निरीक्षण एवं जांच नहीं की गई है। इस विधिक अतिमहत्वपूर्ण बिंदु को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित करने के पश्चात् भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस विधिक अतिमहत्वपूर्ण बिंदु पर विचार न करते हुए आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील को निरस्त करते हुए गंभीर वैधानिक भूल कारित की गई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्विलोकन किये जाने योग्य है।

(2) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो कि साक्ष्य के प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप न होने के कारण हस्तक्षेप किये जाने योग्य है। चूंकि आवेदक द्वारा अपनी साक्ष्य के आधार पर जिस प्रकार के कथन किये गये, उक्त कथन के आधार पर तथा उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अनावेदक को रास्ता प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। उक्त प्रमाणित साक्ष्य को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा करते हुए आलोच्य आदेश पारित करते हुए गंभीर वैधानिक भूल कारित की गई है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो कि एकांगी विवेचना पर आधारित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

(4) वर्तमान पुनरीक्षण याचिका को श्रवण करने एवं निराकरण करने का इस न्यायालय को वैधानिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश को पुन:स्थापित करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष द्वितीय अपील इस आधार पर पेश की गई कि खसरा क्र. 25 गैर आबाद थी, इस कारण से अनावेदक उक्त भूमि से आ-जा रहे थे, किंतु उक्त भूमि के पूर्वी मेढ़ पर से मार्ग है जो साक्ष्य द्वारा सिद्ध है तथा खसरा क्र. 25 की पश्चिमी मेढ से नये रास्ते की मांग की जा रही है। उक्त अपील को अपर आयुक्त द्वारा साक्ष्य व दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन कर साक्ष्य व दस्तावेजों के आधार पर अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी व तहसीलदार के आदेशों को विधिवत व विधिपूर्ण होने से यथावत रखते हुये आदेश दिनांक 16.05.2018 द्वारा अपील अस्वीकार की गई है।

(2) प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं तथा तहसीलदार द्वारा रिकॉर्ड पर आई साक्ष्य एवं दस्तावेजोंकी विधिवत विवेचना कर आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार द्वारा रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य की विधिवति सम्पूर्ण विवेचना की है तथा साक्ष्य में यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ है कि अनावेदकगण अपनी भूमि खसरा क्र. 13 एवं 16 पर कृषि कार्य करने व कृषि उपकरण लाने-ले जाने के लिए ग्राम मनीखेड़ी के मेढ़े से होते हुए आवेदक की भूमि खसरा क्र. 25 की पश्चिमी मेढ से बने हुए रूढिगत रास्ते का उपयोग करता रहा है तथा उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित है कि प्रश्नाधीन रास्ता 40-45 वर्ष से अधिक समय से विद्यमान होकर रूढिगत रास्ता रहा है। अनावेदक साक्षी अनीस खां द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि हफीज खां बगैरह ने बापूलाल से जो जमीन खरीदी है, उसे 50 साल हो गये हैं। तभी से वे बालाप्रसाद की पश्चिमी पड़त भू-भाग पर से निकलकर अपनी भूमियों पर आते-जाते रहे हैं। रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित हुआ है कि प्रश्नाधीन रूढिगत रास्ते के अतिरिक्त अनावेदकगण को अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग

उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार तहसीलदार द्वारा रिकार्ड पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों की विधिवत विवेचना कर आदेश पारित किया गया है, जिसे अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

(3) आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय में प्रस्तुत साक्ष्य शपथ पत्र प्रतिपरीक्षण में यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि अनावेदक खसरा क्र. 25 की भूमि से आते जाते हैं। इसी प्रकार आवेदक ने अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत द्वितीय अपील में आधार के बिंदु क्र. 5 में स्वयं यह स्वीकार किया है कि अनावेदकगण खसरा क्र. 25 की भूमि पर से आते-जाते थे। इस प्रकार स्वीकारोक्ति सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य है। विधि का सर्वमान्य सिद्धांत है कि अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष जो बिंदु नहीं उठाये गये हैं, उन्हें निगरानी प्रकरणमें प्रथम बार नहीं उठाया जा सकता है। आवेदक द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कौन सी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश पारित किये गये है। रिकॉर्ड पर जो साक्ष्य हैं, उसकी विधिवत विवेचना कर आदेश पारित किये गये हैं। इस कारण उक्त आदेशों में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। तर्कों के समर्थन में 2018(1) आर.एन. 57, 2018(1) आर.एन. 304, 2012 आर.एन. 220, 2013 आर.एन. 346, 1988 आर.एन. 4, 2004 आर.एन. 282 एवं 1986 आर.एन. 423 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं। अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त एवं अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अनावेदकगण ग्राम चांदबड कदीम स्थित ख.नं. 25 रकबा 1.630 हैक्टेयर भूमि के मध्य से फसल न होने की स्थिति में आवागमन करते थे, उक्त रास्ते की प्रविष्टि राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में भी नहीं है। अत: उभय पक्षों की सुविधा संतुलन का ध्यान रखते हुए तहसील न्यायालय द्वारा रास्ता दिया जाकर उचित आदेश पारित किया गया है, जिसकी पुष्टि अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा भी की गई है। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। इस संबंध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> "धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए।"

इसी प्रकार 2012 आर.एन. 438 तुलसीदास विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष-हस्तक्षेप नहीं।"

उपरोक्त न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2018 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर